भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3947

बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु नीति

3947. श्री बैन्नी बेहननः

श्रीमती पूनम महाजनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नई नीतियां शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के जी.डी.पी. में ई-कॉमर्स द्वारा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने में सहायता का संज्ञान लिया है;

(घ) क्या सरकार निजता, सुरक्षा, संरक्षा और स्वतंत्र विकल्प चयन/डेटा का स्वामित्व और डेटा शेयरिंग, सीमा पार से डेटा आवक की लागत और डेटा उपयोग की कैसे निगरानी की जाए, इस पहलु को समझने के संबंध में उपाय कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (ग): सरकार ने हाल ही में बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2019 में इलैक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई) और सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसपी) शुरू की है। इनका ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट (http://meity.gov.in/) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा भी तैयार किया है और इसे टिप्पणियों के लिए जनसाधारण को उपलब्ध कराया गया है। भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास के लिए सुविधाजनक विनियामक माहौल बनाने और आंकड़ों तक पहुंच का लाभ प्राप्त करने के लिए मसौदा राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति तैयार की गई है ताकि भारतीयों के इन आंकड़ों का इस्तेमाल भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए किया जा सके। इस नीति के तहत (i)

स्वदेशी उद्यमियों को सशक्त बनाने और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने; (ii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने; (iii) आने वाले समय में डिजिटल क्षेत्र में नौकरियों का सृजन सुनिश्चित करने; (iv) डिजिटल नवप्रयोग में स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और (v) मौजूदा विनियमों की सार्थकता को बनाए रखकर आंकड़ों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से कार्यनीति बनाई गई है।

(घ) और (ङ): सरकार ने आंकड़ों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न मामलों के अध्ययन और आंकड़ों का संरक्षण संबंधी विधेयक (पीडीपीबी) बनाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा.) बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में आंकड़ा संरक्षण संबंधी विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। डिजाइन के जरिए गोपनीयता की संस्कृति की स्थापना और गोपनीयता-उन्मुख अन्य अवधारणाओं के अलावा सहमति रूपरेखा, प्रयोजन की सीमा, भंडारण की सीमा, और आंकड़ों को न्यूनतम बनाने जैसी अवधारणाओं को बढ़ावा देने की रूपरेखा बनाई गई है। मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देने के मद्देनजर समिति की सिफारिशों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया है।

****